

LE-102-H

April-2014

B.Com. (Sem.-VI)

C-308 : Business Laws – II

Time : 3 Hours]

[Max. Marks : 70

(Hindi Version)

- सूचना : (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
(2) दाहिनी ओर के अंक प्रश्न के गुण हैं ।

1. (A) क्षतिपूर्ति (Indemnity) और प्रत्याभूति (Guarantee) करार की परिभाषा दीजिये और इनके बीच का अन्तर समझाइये । 6

अथवा

अनुमोदन द्वारा एजेन्सी किसे कहते हैं ? वैध अनुमोदन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिये ।

- (B) जामिनदार (Surety) के अधिकारों पर टिप्पणी लिखिये । 4

अथवा

निक्षेपिती (Bailee) के कर्तव्यों पर टिप्पणी लिखिये ।

- (C) (1) लियन का अर्थ दीजिये । 4
(2) उपएजेन्ट और बदली एजेन्ट का अर्थ दीजिये ।

अथवा

कानूनी कार्यवाही द्वारा एजेन्सी का अंत कैसे लाया जा सकता है ? समझाइये ।

2. (A) कम्पनी का पार्षद्-सीमानियम (M/A) क्या है ? इसकी कलमों (Clauses) को समझाइये । 6

अथवा

निजी कम्पनी को प्राप्त विशेषाधिकार बताइये ।

- (B) कम्पनी के निदेशकों (Directors) की कानूनी परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 4

अथवा

आन्तरिक प्रबंध का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management) क्या है ?

- (C) कम्पनी के लक्षणों की चर्चा कीजिये । 4

अथवा

कम्पनी के प्रवर्तकों (Promoters) पर टिप्पणी लिखिये ।

3. (A) ग्राहक की परिभाषा दीजिये । ग्राहक के अधिकारों को समझाइये । 6

अथवा

केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा परिषद् पर टिप्पणी लिखिये ।

- (B) जिल्ला फोरम के सदस्यों की योग्यताएँ बताइये । 4
- अथवा**
- राष्ट्रीय कमीशन की रचना किस प्रकार से की जाती है ? समझाइये ।
- (C) परिभाषा दीजिये : 4
- (1) सेवा
- (2) शिकायत
- (3) योग्य प्रयोगशाला
- (4) ग्राहक तकरार
- अथवा**
- अनुचित व्यापार रीति-रिवाज और नियंत्रणात्मक व्यापार रीति-रिवाज क्या हैं ?
4. (A) हुंडी (विनिमय पत्र) और चैक के बीच अन्तर बताइये । 6
- अथवा**
- नेगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट संबंधी धारणाओं का वर्णन कीजिये ।
- (B) बिक्री पृष्ठांकन (Endorsement) किसे कहते हैं ? बिक्री पृष्ठांकन के कोई दो प्रकारों को समझाइये । 4
- अथवा**
- वचनचिट्टी (Promissory Note) की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिये ।
- (C) धारक (Holder) और यथानुक्रम धारक (Holder in due course) को परिभाषित कीजिये । 4
- अथवा**
- “चैक के रेखांकन” (Crossing of a Cheque) पर टिप्पणी लिखिये ।
5. निम्नलिखित विधान सही हैं या गलत बताइये : 14
- (1) एजेन्सी करार में एजेन्ट कभी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता है ।
- (2) क्षतिपूर्ति का करार एक आभासी करार है ।
- (3) निक्षेप करार में माल की सुपुर्दगी होनी आवश्यक है ।
- (4) एजेन्सी करार का अंत आपसी सहमति से लाया जा सकता है ।
- (5) कम्पनी कानून द्वारा सर्जित एक कृत्रिम व्यक्ति है ।
- (6) एक निजी कम्पनी में कम से कम चार निदेशक होने चाहिए ।
- (7) अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य (ultra vires) अर्थात् कम्पनी की सत्ता बाहर का कार्य ।
- (8) प्रतिफल बिना भी माल खरीदनेवाला व्यक्ति ग्राहक कहलाता है ।
- (9) ग्राहक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत “बैंकिंग” का भी सेवाओं में समावेश है ।
- (10) जिल्ला फोरम में रूपया दस लाख तक की कीमत का माल और सेवा के लिए दावा किया जा सकता है ।
- (11) सभी चैक हुंडी (विनिमय पत्र) होते हैं ।
- (12) यथानुक्रम धारक बनने के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती ।
- (13) वचनचिट्टी में शर्ती वचन हो सकता है ।
- (14) चैक के लिए स्टेम्प आवश्यक नहीं होता ।